FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0158 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 31/07/2024 18:51 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 29/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 30/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 31/07/2024 **Time (समय):** 16:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 31/07/2024 18:51:48 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 80 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** UPKHAND KARYALYA PARISAR, DEGANA JILA NAGAUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RICHPAL RAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SHANKAR RAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 (d) **Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GOTHDA, DEGANA, PADU KALAN, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GOTHDA, DEGANA, PADU KALAN, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ASHOK		पिता:CHUNNI LAL	1. KUTIYASNI,DEGANA,NAGAUR,

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		9,800.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 9,800.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	**UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)**

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, नागौर (राज0) विषय - SDM कार्यालय डेगाना के कनिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथ पकडवाने बाबत्। महोदय, नम्र निवेदन है कि मैं रिछपाल राम s/o शंकर राम उम्र 29 वर्ष जाति जाट निवासी गोठड़ा का रहने वाला हूं मेरी KCC ICICI बैंक पुष्कर से ले रखी थी, जिसमें डिफॉल्टर होने पर मैंने बैंक से सेटलमेंट करके राशि जमा करा दी, लेकिन SDM कार्यालय के कनिष्ठ सहायक ने रोड़ा एक्ट हटाने व मेटिशन से बैंक का नाम हटाने के बदले में मेरे से 10000 रूपये रिश्वत की मांग दिनांक 26/07/24 को की थी तथा कहा कि रूपये नहीं देने पर तुम्हारे खिलाफ कारवाई करवाउंगा, मैं मेरे वाजिब काम के बदले रिश्वत देना नहीं चाहता हूं। रिश्वत लेते हुए कनिष्ठ सहायक को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हुं। मेरा अशोक कनिष्ठ लिपिक से कोई उधार लेन-देन नहीं है तथा ना ही कोई रंजिश है, कानुनी कारवाई करें। दिनांक 29/07/2024 प्रार्थी एसडी रिछपाल राम, रिछपाल राम s/o शंकर राम, निवासी गोठड़ा, तहसिल डेगाना जिला नागौर (राज.) मो. ट्रेप कार्यवाही शुरू की गई। एसडी कल्पना सोलंकी 29.07.2024 कार्यवाही पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर निवेदन है कि दिनांक 29.07.2024 को वक्त 11.00 ए.एम. परिवादी श्री रिछपाल राम पुत्र श्री शंकरराम, जाति ज़ाट, उम्र 29 वर्ष, निवासी गोठड़ा, तहसील डेगाना, पुलिस थाना पादूकलां, जिला नागौर उपस्थित कार्यालय आया व एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी को इस आशय का प्रस्तुत किया कि "मैं रिछपाल राम s/o शंकर राम उम्र 29 वर्ष जाति जाट निवासी गोठड़ा का रहने वाला हूं मेरी KCC ICICI बैंक पुष्कर से ले रखी थी, जिसमें डिफॉल्टर होने पर मैंने बैंक से सेटलमेंट करके राशि जमा करा दी, लेकिन SDM कार्यालय के कनिष्ठ सहायक ने रोड़ा एक्ट हटाने व मेटिशन से बैंक का नाम हटाने के बदले में मेरे से 10000 रूपये रिश्वत की मांग दिनांक 26/07/24 को की थी तथा कहा कि रूपये नहीं देने पर तुम्हारे खिलाफ कारवाई करवाउंगा, मैं मेरे वाजिब काम के बदले रिश्वत देना नहीं चाहता हूं। रिश्वत लेते हुए कनिष्ठ सहायक को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हुं। मेरा अशोक कनिष्ठ लिपिक से कोई उधार लेन-देन नहीं है तथा ना ही कोई रंजिश है, कानुनी कारवाई करें। परिवादी की उक्त रिपोर्ट का अवलोकन कर उससे मजीद पूछताछ की गई तो परिवादी ने अवगत करवाया कि मैंने आईसीआईसीआई बैंक पुष्कर से केसीसी लोन लिया था, जिसको समय पर जमा नहीं करवा पाने से मैं डिफॉल्टर हो गया था, जिसको बाद में बैंक से सेटलमेन्ट करके लोन की राशि जमा करवा दी थी। जिसके संबंध में एसडीएम कार्यालय डेगाना में मेरे विरूद्ध विचाराधीन रोड़ा एक्ट की कार्यवाही को बन्द करवाने व जमीन के म्यूटेशन में से बैंक का नाम हटवाने के लिए मैं एसडीएम कार्यालय के कनिष्ठ सहायक श्री अशोक से मिला तो उसने मेरा उक्त कार्य करवाने के लिए 10,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की है, रिश्वत नहीं देने पर मेरा काम नहीं करेगा। परिवादी की उक्त लिखित रिपोर्ट तथा मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नया मैमोरी कार्ड कार्यालय आलमारी में से निकाल कर परिवादी श्री रिछपाल राम को उसे ऑपरेट करने वश्री अशोक कनिष्ठ सहायक के पास जाकर अपने कार्य के संबंध में व रिश्वती लेन देन के सम्बन्ध में वार्ता करने की समझाईश कर कार्यालय के श्री कानाराम कानि0 532 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाते हुए कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नया मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी के साथ उपखण्ड कार्यालय डेगाना रवाना किया जाकर हिदायत मुनासिब की गई। वक्त 04.15 पी.एम. पर श्री कानाराम कानि0 532 ने जरीये मोबाईल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हो चुकी है तथा परिवादी कल 02.00 पी.एम. पर डेगाना में मिलने का कह रहा है, जिस पर श्री कानाराम कानि0 को परिवादी को कल दिनांक 30.07.2024 को वक्त 02.00 पी.एम. पर आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर डेगाना के बाहर मिलने व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत करने के लिए निर्देशित किया गया। ताबाद वक्त 06.15 पी.एम. पर श्री कानाराम कानि0 532 तारीख ईमरोजा का गया हुआ उपस्थित कार्यालय आया तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश कर बताया कि निर्देशानुसार मैं व परिवादी एसीबी चौकी नागौर से रवाना होकर उपखण्ड कार्यालय डेगाना पहुंचे। जहां पर उपखण्ड कार्यालय के सामने मैंनेडिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री रिछपाल राम को उसे बन्द चालू करने की समझाईश कर सुपुर्द कर आरोपी कनिष्ठ सहायक से मिलने उपखण्ड कार्यालय डेगाना के अन्दर रवाना किया गया। कुछ समय पश्चात परिवादी बाहर आया व डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् कानि0 को सुपुर्द किया,

जिसे मेरे द्वारा बन्द किया गया तथा परिवादी ने बताया कि मेरी आरोपी श्री अशोक कनिष्ठ सहायक से वार्ता हो चुकी है। उसने मेरे रोड़ा एक्ट की कार्यवाही बन्द करवाने व म्यूटेशन में से बैंक का नाम हटवाने के लिए 9800/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की है, जो कल दिनांक 30.07.2024 को देने का बोला है। मेरे खेत की रखवाली करनी है इसलिए मैं नागौर चलने में असमर्थ हूं। कल 02.00 पी.एम. पर स्कूल से छुट्टी के बाद आपको डेगाना में मिल जाउंगा। जिस पर श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी को कल आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 9800/- रूपये की व्यवस्था कर वक्त 02.00 पी.एम. पर डेगाना के बाहर बाईपास पुलिया के पास मिलने व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूख्सत किया गया व मन् कानि0 डेगाना से रवाना होकर उपस्थित कार्यालय आया हूं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना व आरोपी द्वारा परिवादी से 9800/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरू की गई। दिनांक 30.07.2024को श्री मोहन राम हैड कानि0 नं0 64 को दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ए.वी.वी.एन.एल., नागौर के नाम की तहरीर देकर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ए.वी.वी.एन.एल. नागौर को रवाना किया गया। थोड़ी देर बाद श्री मोहन राम हैड कानि0 नं0 64 मय दो स्वतन्त्र गवाहानश्री विनोद कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति धोबी, उम्र 40 वर्ष, निवासी वार्ड नं0 14, गंगा कॉलोनी, विद्या विहार, पिलानी, तहसील व पुलिस थाना पीलानी, जिला झुन्झुनू हाल सहायक अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (प.व.स.) ए.वी.वी.एन.एल. नागौर व श्री हर्षित शर्मा पुत्र श्री संजय शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 22 वर्ष, निवासी कुम्हारी दरवाजा, नागौर, पुलिस थाना कोतवाली, जिला नागौर हाल वाणिज्यिक सहायक द्वितीय, कार्यालय कार्मिक अधिकारी (प.व.स.) नागौर के उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान से परिचय किया जाकर की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत करवाते हुए परिवादी श्री रिछपाल राम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट गवाहान श्री विनोद कुमार व श्री हर्षित शर्मा को पढकर सुनाई गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने सन्तुष्ट होकर स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति प्रदान की, जिस पर दोनों गवाहान को परिवादी के डेगाना बाईपास पर मिलने के संबंध में अवगत करवाया गया। तत्पश्चात वक्त 12.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी मय स्वतंत्र गवाहान श्री विनोद कुमार व श्री हर्षित शर्मा मय ट्रेप दल के सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 39, श्री मोहनराम हैड कानि0 64, श्री नेमीचन्द कानि0 405, श्री कानाराम कानि0 532, श्री प्रेमाराम कानि0 218, श्री राजेन्द्र झूरिया कानि. 150 व श्री भगवान सिंह कनिष्ठ सहायक जरिये सरकारी वाहन व एक प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स वलेपटॉप-प्रिन्टर के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी नागौर से रवाना होकर कस्बा डेगाना के बाहर बाईपास पुलिया के नीचे पहुंच सरकारी व प्राईवेट वाहन को साईड में खड़ा किया। जहां पूर्व से पाबंद सुदा परिवादी श्री रिछपाल राम उपस्थित मिला। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी का आपस में परिचय करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रिछपाल राम को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने का कहने पर उसने अपनी जेबमें से पांच-पांच सौ रूपये के 19 नोट, दौ सौ रूपये का 01 नोट व सौ रूपये का 01 नोट कुल 9800/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकाल कर पेश किये। जिनका विवरण इस प्रकार है - 1. पांच सौ रूपये का एक नोट 1UF 423817, 2. पांच सौ रूपये का एक नोट 4DQ 400636, 3. पांच सौ रूपये का एक नोट 9BC 197955, 4. पांच सौ रूपये का एक नोट 1CP 311627, 5. पांच सौ रूपये का एक नोट 6VS 781569, 6. पांच सौ रूपये का एक नोट 8NW 307492, 7. पांच सौ रूपये का एक नोट 2SW 490015, 8. पांच सौ रूपये का एक नोट 2PQ 890556, 9. पांच सौ रूपये का एक नोट 6TV 196975, 10. पांच सौ रूपये का एक नोट 7RP 374074, 11. पांच सौ रूपये का एक नोट 5QC 376642, 12. पांच सौ रूपये का एक नोट 5QC 376643, 13. पांच सौ रूपये का एक नोट 1VB 981975, 14. पांच सौ रूपये का एक नोट 6RK 975791, 15. पांच सौ रूपये का एक नोट 3BD 713095, 16. पांच सौ रूपये का एक नोट 6BW 789542, 17. पांच सौ रूपये का एक नोट 1NR 125290, 18. पांच सौ रूपये का एक नोट 5AV 959117, 19. पांच सौ रूपये का एक नोट 9FV 039507, 20. दौ सौ रूपये का एक नोट 5AG 785322, 21. सौ रूपये का एक नोट 9SF 251442 तत्पश्चात् प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर कार्यालय के श्री मोहनराम हैड कानि0 नं0 64 से सरकारी गाड़ी बोलेरो के डेस्क बोर्ड में रखा फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाया जाकर उपर्युक्त सभी नोटों को सरकारी गाड़ी बोलेरो के बीच की सीट पर अखबार पर रखकर सभी नोटों के दोनों ओर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री रिछपाल राम की जामा तलाशी गवाह श्री विनोद कुमार से लिवाई गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटों को श्री मोहनराम हैड कानि0 से परिवादी के पहनी हुई जींस पेंट की दायीं जेब में कुछ भी शेष नहीं छोड़ते हुए रखवाये गये। परिवादी श्री रिछपाल राम को बताया गया कि इन नोटों को तब तक नहीं छुए जब तक आरोपी रिश्वत की मांग नही करें तथा उसके द्वारा रिश्वत मांगने पर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोट अपनी जेब से निकाल कर उसे देवे तथा अपने कार्य से सम्बन्धित वार्ता करें। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर ट्रेप दल के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मिस कॉल भी करें। यह भी ध्यान रखे कि आरोपी रिश्वत

राशि प्राप्त करने के बाद कहां रखता है या छुपाता है। दोनों गवाहों को भी निर्देश दिए गये कि यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती लेन-देन व इनके बीच होने वाली वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया जाकर गिलास के इस रंगहीन घोल में श्री मोहनराम हैड कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुंलाबी हो गया। इस प्रकार दोनों गवाहों व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया का महत्व दृष्टान्त देकर समझाया गया। उक्त गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया तथा अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया है व डिस्पोजल गिलास को जलवाया जाकर श्री मोहनराम हैड कानि0 के हाथों को साबुन व पानी से साफ धुलवाये गये। समस्त ट्रेप दल सदस्यों के हाथ साफ धुलवाकर आवश्यक निर्देश दिए गये तथा ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों को साफ धुलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाए गये। परिवादी श्री रामगोपाल को वक्त रिश्वत लेन-देन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया। पृथक से फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा श्री मोहनराम हैड कानि0 नं0 64 को मय फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बे के आवश्यक हिदायत देकर भ्र.नि.ब्यूरो, चौकी नागौर रवाना किया गया। ताबाद परिवादी श्री रिछपालराम व श्री कानाराम कानि0 को परिवादी की मोटरसाईकिल से आरोपी से मिलकर रिश्वत राशि देने हेतु उपखण्ड कार्यालय रवाना कर उनके पिछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री विनोद कुमार व श्री हर्षित शर्मा मय ट्रेप दल के सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 39, श्री नेमीचन्द कानि0 405, श्री प्रेमाराम कानि0 218, श्री राजेन्द्र झूरिया कानि0 150 व श्री भगवान सिंह कनिष्ठ सहायक जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स व लेपटॉप-प्रिन्टर के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु बाईपास पुलिया से रवाना होकर वक्त 02.45 पी.एम. पर उपखण्ड कार्यालय डेगाना के पास पहुंचे, जहां सड़क पर एक साईड में दोनों वाहनों को खड़ा कर परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर आवश्यक हिदायत देकर आरोपी से सम्पर्क करने हेतु उपखण्ड कार्यालय डेगाना के अन्दर रवाना कर श्री कानाराम कानि0 को पिछे-पिछे रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान ट्रेप दल के सदस्य अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए उपखण्ड कार्यालय के आस-पास खड़े होकर परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। वक्त 03.00 पी. एम. पर परिवादी श्री रिछपाल राम ने उपखण्ड कार्यालय परिसर में स्थित चाय के ढाबे के सामने खड़ा होकर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत स्वीकृति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप दल के सदस्यों को साथ लेकर परिवादी के पास उपखण्ड कार्यालय डेगाना के मुख्य द्वार के पास स्थित चाय के ढाबे पर पहुंची एवं परिवादी से वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ किया, इस पर परिवादी श्री रिछपाल राम ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं श्री अशोक कनिष्ठ सहायक से उपखण्ड कार्यालय डेगाना परिसर में स्थित चाय के ढाबे पर मिला और मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत की तथा श्री अशोक कनिष्ठ सहायक द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर मैंने रिश्वत राशि 9800/- रूपये अपनी पेंट की दांयी जेब में से निकालकर श्री अशोक कनिष्ठ सहायक को दी, जिस पर श्री अशोक ने उक्त रिश्वत राशि अपने दाहिने हाथ में लेकर गिनकर अपने पहनी जींस पेंट की पिछे की दांयी जेब में रख लिये। उसके बाद मैंने आपको सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत लेने का ईशारा कर दिया तथा परिवादी ने अपने पास बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि मेरे पास बैठा व्यक्ति ही श्री अशोक कनिष्ठ सहायक है, जिसने मेरे से अभी-अभी 9800/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी जींस पेंट की पिछे की दांयी जेब में रखे है। जिस पर परिवादी के पास बैठे व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए, उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री अशोक पुत्र श्री चुन्नीलाल, जाति जाट, उम्र 30 वर्ष, निवासी कुतियासनी, तहसील डेगाना, जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना, जिला नागौर होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी कनिष्ठ सहायक को परिवादी श्री रिछपाल राम से रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा गया तो आरोपी अशोक ने बताया कि मैंने श्री रिछपाल राम से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है, जिस पर पुनः मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने तसल्ली पूर्वक पूछताछ की तो बताया कि मैंने श्री रिछपाल राम से किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि नहीं ली है, उसने जमीन के म्यूटेशन में बैंक का नाम हटाने हेतु डीडी बनवाने के लिए 9800/- रूपये मुझे दिये है। मैंने उक्त रूपये लेकर मेरे पहनी जींस पेंट की पिछे की दांयी जेब में रखे हैं, जो अभी भी मेरी जेब में है। आरोपी श्री अशोक के उक्त कथन पर परिवादी श्री रिछपाल राम ने स्वतः ही बताया कि मैं कल दिनांक 29.07.2024 को मेरे द्वारा बैंक से सेटलमेंट के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी कार्यालय डेगाना से मेरे विरूद्ध रोड़ा एक्ट की कार्यवाही बन्द करवाने व मेरी जमीन के म्यूटेशन में से बैंक का नाम हटाने के लिए श्री अशोक कनिष्ठ सहायक से मिला तो श्री अशोक ने मुझे बताया कि मैं तेरे विरूद्ध उपखण्ड कार्यालय से रोड़ा एक्ट की कार्यवाही बन्द करवा दूंगा व जमीन के म्यूटेशन में से बैंक का नाम भी हटवा दूंगा, जिसके लिए आपको 9800/- रूपये मुझे खर्चा पानी के देने पड़ेंगे। जो आज दिनांक को देना तय होने पर मैंने इनके कहेनुसार 9800 रूपये अभी-अभी इनको दिये हैं, इन्होंने रूपये दाहिनें हाथ में लेकर गिनकर पहनी हुई जींस पेंट की पिछे की दायीं जेब में रख लिये थे इसके बाद मैंने चाय के ढाबे के सामने खड़ा होकर

आपको ईशारा किया था। रिश्वत लेने की ताईद होने पर श्री अशोक का दायां व बायां हाथ कलाई के उपर से मेरे निर्देश से क्रमशः कानि0 श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 व श्री राजेन्द्र कानि0 से पकड़वाये गये। गवाह श्री विनोद कुमार से आरोपी श्री अशोक की जामा तलाशी लिरवाई गयी तो आरोपी के पहनी हुई जींस पेंट की पिछे की दांयी जेब में 500-500 रूपये के 19 नोट, 200 रूपये का 01 नोट व 100 रूपये का 01 नोट मिले, जिनको पूर्व में बनी फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो हुबहू वही नोट होना पाये गये। जिनको गवाह श्री विनोद कुमार के पास सुरक्षित रखवाये गये। (नोट - उपखण्ड कार्यालय डेगाना परिसर में स्थित चाय का ढाबा मुख्य द्वार के पास स्थित होने व कार्यालय में आमजनों की आवाजाही अधिक होने एवं मौके पर भीड़भाड़ ज्यादा होने से आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही हेतु मय ट्रेप दल के वृत कार्यालय डेगाना लेकर पहुंचे। वृताधिकारी डेगाना से अग्रिम कार्यवाही कार्यालय में करने की अनुमति प्राप्त कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही वृत कार्यालय डेगाना के कक्ष में शुरू की गई।) तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। एक गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री अशोक के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः RH-1 व RH-2 अंकित किया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री अशोक के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः LH-1 व LH-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री अशोक के पहनने हेतु दूसरी पेंट की व्यवस्था कर पहनी हुई जींस पेंट को सम्मान पूर्वक उतरवाकर जींस पेंट की पिछे की दांयी जेब को उलटकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः P-1 व P-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा जींस पेंट को सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील चिट कर मार्क P अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् गवाह श्री विनोद कुमार के पास सुरक्षित रखवाये गये नोटों को गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 19 नोट, 200 रूपये का 01 नोट व 100 रूपये का 01 नोट कुल 9800/- रूपये होना बताया तथा दोनो गवाहों से रिश्वती राशि 9800/- रूपये के नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में मुर्तिबा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से करवाया गया तो वही नोट हुबहू होना पाये गये। जिस पर उपरोक्त सभी नोटों (9800/- रूपये) को कागज की चिट में सिल्ड चिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि कब्जा एसीबी ली गई । ताबाद आरोपी श्री अशोक कनिष्ठ सहायक से परिवादी श्री रिछपाल राम के विरूद्ध रोड़ा एक्ट की कार्यवाही व जमीन म्यूटेशन में से बैंक का नाम हटाने से संबंधित कागजात के बारे में पूछा गया तो आरोपी अशोक ने बताया कि श्री रिछपाल राम के विरूद्ध रोड़ा एक्ट की कार्यवाही से संबंधित पत्रावली उपखण्ड कार्यालय में है। जिस पर श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 को तहरीर देकर उपखण्ड कार्यालय डेगाना भेजकर परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली मंगवाई गई ताबाद श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी डेगाना जिला नागौर के पत्रांक 734 दिनांक 30.07.2024 के द्वारा परिवादी रिछपाल राम से संबंधित न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 243/2022 अनवान आईसीआईसीआई बैंक शाखा पुष्कर बनाम रिछपाल की पत्रावली लेकर आया, जिस पर बाद अवलोकन संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी को पूर्व में दिये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में वक्त रिश्वत लेन-देन परिवादी श्री रिछपाल राम व आरोपी श्री अशोक के मध्य रूबरू हुई रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वती लेन-देन की पुष्टि होना पाया गया। जिसकी फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इस प्रकार आरोपी श्री अशोक कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना, जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री रिछपाल राम के के.सी.सी. लोन में डिफॉल्टर होने पर परिवादी द्वारा बैंक से सेटलमेंट के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी कार्यालय डेगाना से परिवादी के विरूद्ध विचाराधीन रोड़ा एक्ट की कार्यवाही बन्द करवाने व जमीन के म्यूटेशन में से बैंक का नाम हटवाने की एवज में आरोपी कनिष्ठ सहायक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 9800/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर, मांग के अनुसरण में दिनांक 30.07.2024 को रिश्वत राशि 9800/- रूपये ग्रहण करना व उक्त रिश्वत राशि आरोपी श्री अशोक के पहनी जींस पेंट की पिछे की दांयी जेब से बरामदहोने पर आरोपी श्री अशोक पुत्र श्री चुन्नीलाल, जाति जाट, उम्र 30 वर्ष, निवासी कुतियासनी, तहसील डेगाना, जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना, जिला नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाने पर आरोपी श्री अशोक कनिष्ठ सहायक को जुर्म से आगाह कर अपने संवैधानिक अधिकारो से अवगत करवाते हुए वक्त 04.30 पी.एम. पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की गई।तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी की निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका निरीक्षण घटनास्थल मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में अब तक तैयार की गई समस्त फर्दात एवं जब्तशुदा आर्टीकल्स पर कार्यालय

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर की जिस पीतल की मोहर का प्रयोग किया गया, उक्त सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। बाद कार्यवाही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री अशोक कनिष्ठ सहायक मय परिवादीएवं स्वतन्त्र गवाहान मय हमराही जाब्ता के जरीये सरकारी व प्राईवेट वाहन के मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिंटरव जब्त सुदा माल वजह सबूत के बाद ट्रेप कार्यवाही वृत कार्यालय डेगाना से रवाना होकर एसीबी चौकी नागौर पहुंच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। ताबाद डिजिटल टेपरिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज दिनांक 29.07.2024 को आरोपी एवं परिवादी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दो पैन ड्राईव व एक डीवीडी पृथक-पृथक बनवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड व पैन ड्राईव की हैज वैल्यू निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबादडिजिटल टेपरिकॉर्डर से मूल मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर शील्ड कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, वार्ता के दोनों पैन ड्राईव अलग-अलग कपड़े की थैलियों में डालकर पृथक-पृथक शील्ड कर न्यायालय व आरोपी हेतु तथा एक डीवीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु कागज के लिफाफे में डालकर सभी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखे गये तथाडिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज परिवादीएवं आरोपी के मध्य दिनांक 30.07.2024 को वक्त रिश्वत लेन-देन हुई वार्ता को सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा डिजिटल टेपरिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के दो पैन ड्राईव व एक डीवीडी पृथक-पृथक बनवाये गये। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड व पैन ड्राईव की हैज वैल्यू निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद डिजिटल टेपरिकॉर्डर से मूल मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर शील्ड कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, वार्ता के दोनों पैन ड्राईव अलग-अलग कपड़े की थैलियों में डालकर पृथक-पृथक शील्ड कर न्यायालय व आरोपी हेतु तथा एक डीवीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु कागज के लिफाफे में डालकर सभी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखे गये। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही में बरामद रिश्वत राशि कागज की चिट में शील्ड सुदा 9800/- रुपये, शील्ड शुदा धोवन की शिशियां मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2 तथा P, P-1, P-2, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के दो अलग-अलग कपड़े की थैलियों में सील्ड सुदा मूल मैमोरी कार्ड एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के दो पृथक-पृथक सील्ड सुदा पैन ड्राईव न्यायालय व आरोपी श्री अशोक हेतु मालखाना प्रभारी श्री मोहनराम हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। बाद कार्यवाही परिवादी श्री रिछपाल राम तथा स्वतंत्र गवाहान श्री विनोद कुमार सहायक अभियन्ता व श्री हर्षित शर्मा वाणिज्यिक सहायक द्वितीय को बाद ट्रेप कार्यवाही आवश्यक हिदायत कर रुखसत किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही का समय-समय पर रनिंग नोट पृथक से तैयार किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री अशोक कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना, जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री रिछपाल राम के के.सी.सी. लोन में डिफॉल्टर होने पर परिवादी द्वारा बैंक से सेटलमेंट के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी कार्यालय डेगाना से परिवादी के विरूद्ध विचाराधीन रोड़ा एक्ट की कार्यवाही बन्द करवाने व जमीन के म्यूटेशन में से बैंक का नाम हटवाने की एवज में आरोपी कनिष्ठ सहायक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 9800/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर, मांग के अनुसरण में दिनांक 30.07.2024 को रिश्वत राशि 9800/- रूपये ग्रहण करना व उक्त रिश्वत राशि आरोपी श्री अशोक के पहनी जींस पेंट की पिछे की दांयी जेब से बरामद होने पर आरोपी श्री अशोक पुत्र श्री चुन्नीलाल, जाति जाट, उम्र 30 वर्ष, निवासी कुतियासनी, तहसील डेगाना, जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना, जिला नागौर का उक्त कृत्य अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्ट्या घटित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धारा में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्र.नि.ब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीया एसडी/- (कल्पना सोलंकी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कल्पना सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अशोक पुत्र श्री चुन्नीलाल, जाति जाट, उम्र 30 वर्ष, निवासी कुतियासनी, तहसील डेगाना, जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना, जिला नागौर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री तेजाराम, पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 227 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 830-33 दिनांक 31.07.2024 प्रतिलिपि:.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर प्रथम। 2 जिला कलक्टर नागौर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** TEJA RAM **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/08/2024 11:

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

[redacted]

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)